

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक: -07.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरूकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 07.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।



मिशन शक्ति 5.0 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

महिला कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 07.02.2026 को मिशन शक्ति 5.0 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत थाना चरखारी क्षेत्र के विद्यालयों में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में किया गया।

सखी वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रबंधक क्षमा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस दौरान बालक-बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बाल विवाह को एक सामाजिक अपराध बताया गया।

प्रभारी महिला थाना, उप निरीक्षक सुश्री शिल्पी शुक्ला द्वारा टोल-फ्री नंबर 112, 1098, 1090, 181 एवं 1076 की जानकारी दी गई तथा आवश्यकता पड़ने पर इन नंबरों के उपयोग हेतु जागरूक किया गया।

हब से जनरल स्पेशलिस्ट रीता द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना एवं निराश्रित विधवा पेंशन योजना—की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा, बाल विवाह रोकथाम, लैंगिक समानता एवं दहेज प्रतिषेध जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह न करने एवं रोकने की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर उप निरीक्षक रामकृष्ण तिवारी, सखी वन स्टॉप सेंटर से केस वर्कर श्रीमती रीना सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमारी, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, फील्ड यूनिट एवं CCTNS की कार्यप्रणाली से कराया गया अवगत

आज दिनांक 06.02.2026 को महिला थाना, थाना कोतवाली नगर एवं फील्ड यूनिट जनपद महोबा की पुलिस टीम द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय (नोडल अधिकारी SPEL-3) जनपद महोबा के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत थानों से नामित नोडल अधिकारियों द्वारा चयनित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, फील्ड यूनिट एवं CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का पंजीकरण, पीड़ित महिलाओं से संवेदनशील व्यवहार, मिशन शक्ति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं, महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं एवं त्वरित पुलिस सहायता की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

साथ ही फील्ड यूनिट की भूमिका के अंतर्गत घटनास्थल पर त्वरित पहुँच, प्राथमिक जांच, साक्ष्य संकलन, घटनास्थल सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में फील्ड यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका पर व्यवहारिक जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त CCTNS प्रणाली के माध्यम से एफआईआर पंजीकरण, अपराध एवं अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड, विभिन्न थानों के मध्य सूचना साझा करने की प्रक्रिया, तथा पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम पुलिसिंग के संबंध में भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया।

SPEL कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से युवाओं में संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक चेतना एवं नागरिक दायित्व का विकास करना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करते हुए युवा पीढ़ी को “पुलिस मित्र” के रूप में विकसित करना है।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त ऋषिपाल उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री अनारीलाल, निवासी ग्राम टोलासोयम, थाना चरखारी, जनपद महोबा को सूपा चौराहे से ग्राम सूपा की ओर जाने वाली सड़क कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर तथा एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 18/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय
- हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया
- हे0का0 राजाराम

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नाम – ऋषिपाल
उम्र – करीब 30 वर्ष
पिता का नाम – श्री अनारीलाल
निवासी – ग्राम टोलासोयम, थाना चरखारी, जनपद महोबा

बरामदगी-

- एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर



मिशन शक्ति 5.0 के तहत ग्राम बम्हौरी कलां में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

- महिला कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा आज दिनांक 07/02/2026 को मिशन शक्ति 5.0 एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, जिला प्रोबेशन अधिकारी के दिशा-निर्देशन में ग्राम बम्हौरी कलां में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालकों एवं बालिकाओं तथा ग्रामीणजन को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया तथा बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई एवं दण्डनीय अपराध बताया गया।
- महिला चौकी प्रभारी थाना चरखारी, उप निरीक्षक सुश्री शिल्पी राजपूत द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 112, 1098, 1090, 181 व 1076 की जानकारी दी गई।
- इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह से जनरल स्पेशलिस्ट श्रीमती रीता चौरसिया द्वारा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पोन्सरशिप योजना एवं निराश्रित विधवा पेंशन योजना—की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही घरेलू हिंसा, बाल विवाह रोकथाम, लैंगिक समानता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली

से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई।

- कार्यक्रम में उपनिरीक्षक संजय सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमारी, ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।



SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं यातायात प्रबंधन की जानकारी दी गई

- आज दिनांक 06.02.2026 को महिला थाना, थाना कोतवाली नगर एवं फील्ड यूनिट जनपद महोबा की पुलिस टीम द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन किया गया।
- यह कार्यक्रम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय (नोडल अधिकारी SPEL-3) जनपद महोबा के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत थानों से नामित नोडल अधिकारियों द्वारा चयनित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों, यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात संकेतों एवं चिन्हों का महत्व, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग, ओवरस्पीडिंग व ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाले दुष्परिणाम, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियों के संबंध में जागरूक किया गया।
- साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा यातायात नियंत्रण की कार्यप्रणाली, भीड़ एवं जाम प्रबंधन, दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक कार्रवाई, तथा सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में आम नागरिकों की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई।

- SPEL कार्यक्रम के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षण द्वारा छात्र-छात्राओं में यातायात अनुशासन, नागरिक जिम्मेदारी एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और युवा पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार किया जा सके।



थाना खरेला की पुलिस टीम ने

02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा गठित व0उ0नि0 शिवदान सिंह मय हमराह उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.पूरनलाल अहिरवार पुत्र कालीचरन अहिरवार उम्र 35 वर्ष नि0मु0 स्वामीदास कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा 2.बुगल सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह उम्र करीब 27 वर्ष नि0मु0 हले 1 कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 29/25 धारा 147 बीएनएसएस में मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को भिन्न-भिन्न स्थानों से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.व0उ0नि0 शिवदान सिंह
- 2.उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1.पूरनलाल अहिरवार पुत्र श्री कालीचरन अहिरवार उम्र 35 वर्ष नि0मु0 स्वामीदास कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा
- 2.बुगल सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह उम्र करीब 27 वर्ष नि0मु0 हले 1 कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा



महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

